(5)

संख्या-1032/एक-10-2024

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः जून, 2024

विषय- प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर 01-01 मल्टीडिजास्टर रिस्पांस व्हीकल के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से रू0 71,65,00,350/- (इकहत्तर करोड़ पैंसठ लाख तीन सौ पचास मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एफ0एस0(टी0)-245-2024 , दिनांक 30.04.2024 जोकि अनुसचिव गृह (पुलिस) अनुभाग-7 को सम्बोधित एवं राजस्व विभाग को पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें , जिसके द्वारा आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया व राहत एवं बचाव कार्य हेतु प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर 01-01 मल्टीडिजास्टर रिस्पांस वेहिकल के क्रय हेतु (लागत रू0 4.00 करोड प्रति के अनुसार) रू0 72.00 करोड की धनराशि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 08.02.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तथा गृह विभाग एवं अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार प्रदेश के 18 मण्डलों में 01-01 मल्टीडिजास्टर रिस्पांस व्हीकल क्रय किये जाने हेतु वितीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से (लागत रू0 4.00 करोड प्रति के अनुसार) स्वीकृत कुल रू0 72.00 करोड की धनराशि के सापेक्ष टेंडर की धनराशि रू0 71,65,00,350/- (इकहत्तर करोड़ पैंसठ लाख तीन सौ पचास मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन महानिदेशक, अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबंध</u>

(1) अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाले कार्य राहत आयुक्त , उ0प्र0 द्वारा उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।

(3) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA दिनांक 14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाईडलाईन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(5) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(6) अनुमोदित कार्य योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले वाहनों का क्रय चालू वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से कर लिया जाये।

(7) उक्त धनराशि से क्रय किये गये वाहनों के रख रखाव एवं पी0ओ0एल0 संबंधी व्यय विभागीय बजट से किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(10) जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(11) उक्त 18 मण्डलों में क्रय किये जाने वाले मल्टी डिजास्टर रिस्पान्स वहीकल का संचालन एवं रख-रखाव उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा विभाग द्वारा किया जायेगा।

(12) उक्त 18 मण्डलों में क्रय किये जाने वाले मल्टी डिजास्टर रिस्पान्स वहीकल का उपयोग आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया तथा राहत एवं बचाव कार्य हेतु किया जायेगा और इस सम्बन्ध में राहत आयुक्त कार्यालय में स्थापित राज्य स्तरीय इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर एवं राहत आयुक्त से समन्वय करते हुए अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग द्वारा सम्बन्धित मण्डलों के जिलों में होने वाली आपदाओं के समय इन वहीकलों के साथ तत्पर कार्यवाही हेतु उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 71,65,00,350/- (इक्हत्तर करोड़ पैंसठ लाख तीन सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहद निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से वयय के

नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by
Ram Kewal
Date: 01-07-2024 19:15:09
(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्याः- 1032(1)/एक-10-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उ0प्र0 ।

2- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग को उक्त 18 मण्डलों के लिए मल्टी डिजास्टर व्हीकल के सम्बन्ध में उक्त स्वीकृत रू0 72.00 करोड की धनराशि के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए क्रय कर संचालन आदि कार्यवाही के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें।

3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

4- अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

5- राहत आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

6 विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0

8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Shailendra Mani Tripathi
Date: 02-07-2024 11:27:03
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-18/07/2024

प्रेषण संख्या:- 1032
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1032
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2530-अपर पुलिस महानिदेशक - फायर सर्विस , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	716500350 1497287454	716500350 1497287454
	योग	वर्तमान प्रगामी	716500350 1497287454	716500350 1497287454

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया इकत्तर करोड़ पैंसठ लाख तीन सौ पचास
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब उनचास करोड़ बहत्तर लाख सत्तासी हजार चार सौ चौवन

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।